न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–05/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जोरमल पुत्र इमाम खां जाति मेव।
2. बन्नी पुत्र भूरेखां जाति मेव।
   साकिन ग्राम महुवा खुर्द तहसील व जिला अलवर

..... वादी अपीलांट्स

बनाम

1. शादीलाल पुत्र दीवान रामसिंह जाति जैन निवासी बीच का मौहल्ला देवीजी की गली गर्ल्स स्कूल के पास अलवर जिला अलवर राज0।

.....रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री गणपत सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.12.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम महुवाखुर्द तहसील व जिला अलवर में स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 376/2 मिन जिसका रकबा सेटलमेंट 2051 में हाल खसरा नंबर 572 रकबा 10 एयर में मिलाया गया है, के वादीगण/अपीलांटस काबिज खातेदार काश्तकार हैं। परन्तु सेटलमेंट बंदोबस्त संवत 2051 में उपरोक्त आराजी से खसरा नंबर 376/2 मिन का रकबा हाल खसरा नंबर 572 रकबा 10 एयर में मिलाया गया है तथा प्रतिवादी रेस्पो0 का नाम इन्द्राज इस आराजी के कब्जेकाश्त के खाने में खातेदार की हैसियत से किया गया है जो कि गलत है। विवादित आराजी का वादी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने तथा प्रतिवादी रेस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने कि वो विवादित आराजी में वादीगण के कब्जेकाश्त में रूकावट मजाहमत पैदा नही करे, का निवेदन अधीनस्थ अदालत में किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी वादीगण अपीलांट के खरीदशुदा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। साबिक खसरा नंबर 376/2 मिन रकबा जिसका हाल सेटलमेंट में हाल खसरा नंबर 572 रकबा 10 एयर में मिलाया गया है। व आराजी खसरा नंबर 376/2 मिन जिसका रकबा हाल सेटलमेंट में हाल खसरा नंबर 571 रकबा 10 एयर कायम हुआ है, वाके ग्राम महुवाखुर्द तहसील अलवर में स्थित है। सेटलमेंट संवत 2051 में आराजी खसरा नंबर 376/2 मिन का रकबा हाल खसरा नंबर 572 रकबा 10 एयर में मिलाया गया है और प्रतिवादी रेस्पो0 की खातेदारी में बेजा दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय वादी अपीलांट के केस को ही नही समझ पाई जबकि अपीलांट का वाद यह था कि अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 572 था जिस खसरा नंबर का रकबा 10 एयर प्रतिवादी रेस्पो0 के नाम संवत 2051 के सेटलमेंट में सेटलमेंट विभाग ने दर्ज कर दिया है जो गलत है। जबकि उपरोक्त रकबा अपीलांट के नाम दर्ज होना चाहिये था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अदालत में उक्त आशय से संबंधित दस्तावेज भी पेश किये मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उन दस्तावेज पर गौर नही किया। अधीनस्थ अदालत द्वारा मुकदमें में वादी व प्रतिवादीगण की प्लीडिंग्स के आधार पर सात तनकीयात कायम की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात के हिसाब से मुकदमें का निर्णय करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा साक्ष्य पेश की गई थी मगर अधीनस्थ अदालत ने उस पर मनन नही किया और वाद को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि बंदोबस्त संवत 2051 में साबिक खसरा नंबर 376/2 का 10 एयर रकबा हाल खसरा नंबर 572 रकबा 10 एयर में नही मिया गया है। आराजी खसरा नंबर हाल 572 रकबा 10 एयर साबिक खसरा नंबर 376/1 रकबा 7 बीघा में से 10 एयर भूमि देते हुये बनाया है। जिसमें आराजी खसरा नंबर 376/2 की 1 इंच जमीन भी नही दी गई है। पूर्व राजस्व रिकार्ड व मौके के कब्जे के आधार पर ही नया खसरा नंबर 572 बनाया गया है। विवादित आराजी से वादी अपीलांट का कोई संबंध सरोकार नही है और ना ही वे कभी विवादित आराजी पर काबिज रहे हैं।बंदोबस्त विभाग ने जो इन्द्राजात किये हैं वे मौके , कब्जा एवं पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर सही प्रतिवादी रेस्पो0 के नाम किये हैं। वादी अपीलांट ने इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। यदि खरीदशुदा आराजी है तो 376/2 की रजिस्ट्री प्रस्तुत करनी चाहिये। अपीलांट द्वारा सेल डीड की कॉपी पेश नही की गई है। अतः तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2010 का अवलोकन किया।

तहत अदालत की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज जमाबंदी, नक्शा मिलान, पर्चा खतौनी इत्यादि शामिल मिसल है। प्रकरण में उभय पक्षों की बहस पर न्यायालय द्वारा मनन किया गया है तो न्यायालय अपने न्यायनिर्णयन में दीवानी प्रकिया संहिता के विभन्न आदेशों व नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करने/करवाने हेतु बाध्यकारी है। तहत अदालत को स्वयं वादी/वादी के अधिवक्ता के साक्ष्य प्रदर्शित करवाने चाहिये थे। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है जिसका परिमार्जन किया जाना न्यायहित में है। इसलिए अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर काबिल स्वीकार के है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2010 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को दीवानी प्रकिया संहिता के तहत प्रदर्शित करवाते हुये, तनकीवार विवेचन करते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय में दि0 13.02.2020 को उपस्थित हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर